न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **417/2022**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

सीतादेवी पत्नी पन्नालाल जाट निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीया

बनाम

1– अजयसिंह पिता शक्तिसिंह राजपूत निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
2– कृष्णा कंवर पत्नी शक्तिसिंह राजपूत निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
3– देवेन्द्र सिंह पिता समर्थसिंह राजपूत निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
4– लादू पिता लक्ष्मण बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
5– घनश्याम पिता ईश्वर बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
6– हरिशंकर पिता लादू ब्राह्मण निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
7– रामप्रसाद पिता लादू ब्राह्मण निवासी खामोर तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री शिवराज कुमावत**
अधिवक्ता प्रार्थीया

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **12.12.2022**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – **ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1582 रकबा 0.85 है0, 1586 रकबा** 0.06 **है0, 1587 रकबा 0.11 है0, 1583 रकबा 1.00 है0, 1662 रकबा 0.30 है0, 1663 रकबा 0.91 है0** कुल **किता 6** रकबा **3.23** हैक्टेयर की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर संवत् 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीया की में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **खामोर** में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 1586, 1587 रकबा क्रमशः 0.06 है0, 0.11 है0 की किस्म गेमु. पाल होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 4 रकबा 3.0600 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **1300/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **12.12.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा